



2026: AHC: 38833

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 6944 वर्ष 2026**

**गुलाबी देवी एवं अन्य**

**.....याची**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य**

**.....प्रतिवादी**

---

**याची हेतु अधिवक्ता** : अनिल कुमार यादव

**प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता** : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया**

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचियों द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, तहसील-केराकत, जिला जौनपुर को वाद संख्या 803 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514360520803) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है, और न ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तर्क दिया गया है कि निचली अदालत को उपरोक्त मामले को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2025 में दायर किया गया है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, याची को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, अतः यह याचिका खारिज होने योग्य है और एतद्वारा खारिज की जाती है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले को बिना किसी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए, कानून के अनुसार कड़ाई से तय करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

**20 फरवरी, 2026**

**प्रमोद त्रिपाठी**

**(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।